

वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त, 2017-श्रावण 13, शके 1939

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

प्रार्थी को पहले इन्द्रा बाई शर्मा के नाम से जाना जाता था अब प्रार्थी अपना नाम परिवर्तन कर श्रीमती शारदा बाई उर्फ इन्द्रा बाई शर्मा पत्नी स्व. श्री विद्याचरण शर्मा कर लिया है। इसलिए आज से उसे श्रीमती शारदा बाई उर्फ इन्द्रा बाई के नाम से जाना जाता है।

पुराना नाम :

नया नाम :

( इन्द्रा बाई शर्मा )

( शारदा बाई उर्फ इन्द्रा बाई शर्मा )

पत्नी स्व. श्री विद्याचरण शर्मा।

पत्नी स्व. श्री विद्याचरण शर्मा,

(263-बी.)

निवासी-राजपुरा रोड भेरों बाबा मंदिर के पास,  
पुरानी शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म. प्र.).

#### नाम परिवर्तन

मैं, दीपक कुमार पुत्र श्री दर्शनलाल, आयु 22 वर्ष, व्यवसाय सर्विस, निवासी मिर्जापुर, घासमण्डी किलागेट, ग्वालियर. यहकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम दीपक जाटव अंकित है। यहकि अब मुझे दीपक कुमार के नाम से जाना-पहचाना जाता है। अतः भविष्य में मुझे दीपक कुमार के नाम से ही जाना व पढ़ा जावे सर्व सूचित करता हूँ।

पुराना नाम :

नया नाम :

( दीपक जाटव )

( दीपक कुमार )

पुत्र श्री दर्शन लाल जाटव,

पुत्र श्री दर्शन लाल जाटव,

(264-बी.)

निवासी-मिर्जापुर घासमण्डी,  
किलागेट, ग्वालियर (म. प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम पूनम सहरिया था एवं शैक्षणिक अंकसूची में भी मेरा नाम पूनम सहरिया था शादी के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर पूनम गुप्ता हो गया है। अतः अब मुझे इसी नाम से पढ़ा व लिखा जाबे भविष्य में भी मुझे मेरे परिवर्तित नाम से ही जाना-पहचाना जाए, समस्त सूचित हों।

पुराना नाम :

(पूनम सहरिया)

(265-बी.)

नया नाम :

(पूनम गुप्ता)

पति श्री रीतेश गुप्ता,  
निवासी-अशोकनगर (म. प्र.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ग्रीन इन्फ्राटेच स्थित 30, संजय कॉम्प्लेक्स, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00060/12, दिनांक 26 जून, 2012 है। जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को भागीदार श्रीमती रेनू आनन्द पति श्री विजय कुमार आनन्द, निवासी जे-2, साईट नं. 1, सिटी सेंटर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-ग्रीन इन्फ्राटेच,

आयुष लड्डा,

(भागीदार)

संजय कॉम्प्लेक्स, जयेन्द्रगंज,  
लश्कर, ग्वालियर.

(266-बी.)

### NOTICE

M/s Unicon Construction and interiors registered on 09-02-2016 w.e. f. 09-02-2016 with its registration No. 01/01/01/04/10/16, year 2015-16 with partners Saiyad Yusuf Ashfaq, Mohammed Shameem Khan and Sanjay Kumar Bukhariya wants to bring into the notice of public that they have added another partner Prashant Kumar Sharma w.e. f. 01-04-2017.

M/s Unicon Construction and Interiors,

SAIYAD YUSUF ASHQAF,

(Partner).

(267-B.)

### जाहिर सूचना

सर्वजनों को सूचित हो कि फर्म में/देव कन्स्ट्रक्शन पंजीकृत फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 04/17/06/00297/11, दिनांक 07-12-2011 है। फर्म में (1) श्री उज्जवल सिंह एलियाज ठाकुर, (2) श्री शैलेन्द्र सिंह राजपूत एवं (3) श्रीमती सुमन राजपूत भागीदार थे, फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01-10-2011 को किया गया था, जिसमें श्री शैलेन्द्र सिंह राजपूत दिनांक 30-09-2011 को सेवानिवृत्त हुए हैं तथा दो नये भागीदार (1) श्री प्रवीन चौहान एवं (2) श्री नीरज ठाकुर दिनांक 01-10-2011 से फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं, इस तरह फर्म में चार भागीदार क्रमशः (1) श्री उज्जवल सिंह एलियाज ठाकुर, (2) श्री प्रवीन चौहान, (3) श्री नीरज ठाकुर, (4) श्रीमती सुमन राजपूत दिनांक 01-10-2011 से भागीदार हो गये हैं।

फर्म में/देव कन्स्ट्रक्शन फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01 जून, 2017 से किया गया है। भागीदार (1) श्री उज्जवल सिंह एलियाज ठाकुर, (2) श्री प्रवीन चौहान, (3) श्री नीरज ठाकुर दिनांक 31-05-2017 को सेवानिवृत्त हुए हैं तथा नये भागीदार श्री प्रशांत पांडुरंगजी पराड़कर दिनांक 01-06-2017 से फर्म में सम्मिलित हुए हैं।

इस तरह फर्म में दिनांक 01-06-2017 से दो भागीदार श्रीमती सुमन राजपूत एवं श्री प्रशांत पांडुरंगजी पराड़कर हैं।

संदीप गुप्तास्ता,

(अधिवक्ता).

प्रियदर्शनी कॉलोनी, छिन्दवाड़ा.

(268-बी.)

## आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गजानन्द इन्टरप्राईजेज स्थित 823, सिल्वर स्टेट सिटी सेन्टर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00034/13, दिनांक 31-05-2013 है। श्री गजेन्द्र दीक्षित पुत्र श्री विशाखर दयाल दीक्षित की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म में नहीं रहे हैं एवं दिनांक 06-02-2014 को साझेदार क्रमशः 1. श्री रविशंकर शर्मा पुत्र श्री उमाशंकर शर्मा, 2. श्री निखिल शर्मा पुत्र श्री विद्याभूषण शर्मा, 3. श्री रामजीलाल कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व. श्री रामेश्वरदयाल, 4. सूरज प्रताप राय पुत्र श्री हीरा प्रसाद राय अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

मै. गजानन्द इन्टरप्राईजेज,

मुकेश गग्न,

(भागीदार)

823, सिल्वर स्टेट सिटी सेन्टर,

ग्वालियर (म. प्र.).

(269-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर**

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक “महाराण प्रताप पारमार्थिक ट्रस्ट”, पता-1, सुखदेव नगर, एरोडम रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री विजय कुमार परिहार पिता सुखदेव सिंग परिहार अन्य-19, निवासी-30, सुखदेव नगर इन्दौर द्वारा “महाराणा प्रताप पारमार्थिक ट्रस्ट” (म. प्र.) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम  | : | “महाराणा प्रताप पारमार्थिक ट्रस्ट”  |
| 2. पता            | : | कार्यालय 1, सुखदेव नगर, एरोडम रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर (म. प्र.)  |
| 3. चल-अचल संपत्ति | : | न्यास की चल सम्पत्ति में राशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) है तथा अचल संपत्ति निरंक है। |

आज दिनांक 24 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1367)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक “भारती फाउण्डेशन” पता-71, शान्तिनाथ पुरी, हवा बंगले के पास, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी कुमारी भारती पिता श्री हुकुमचन्द मालविया, निवासी-71, शान्तिनाथ पुरी, हवा बंगले के पास, इन्दौर द्वारा “भारती फाउण्डेशन” कार्यालय पता-71, शान्तिनाथ पुरी, हवा बंगले के पास, इन्दौर (म. प्र.) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात्

(30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम  | : | “भारती फाउण्डेशन”  |
| 2. पता            | : | कार्यालय-71, शान्तिनाथ पुरी, हवा बंगले के पास, इन्दौर (म.प्र.)   |
| 3. चल-अचल संपत्ति | : | न्यास की चल सम्पत्ति में राशि रुपये 11,000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार मात्र) है तथा अचल संपत्ति निरंक है। |

आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

बिहारी सिंह,  
रजिस्ट्रार।

(1368)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जोबट, जिला अलीराजपुर**

प्र. क्र. 01/बी-113/2016-17.

### फार्म नम्बर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जोबट के समक्ष।

आवेदक नारायणदासजी, अध्यक्ष हिन्दू धर्मादा मंदिर ट्रस्ट, ग्राम बोरी, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत “हिन्दू धर्मादा मंदिर ट्रस्ट” ग्राम बोरी को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन करने बाबद आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस प्रकाशन के 01 माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा अभिभाषक के जरिये न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किए जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

साकेत मालवीय,  
IAS

(1369)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद, जिला खरगौन**

प्र. क्र./01/बी-113/2016-17.

### प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास 1951(1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक लोक न्यास, खरगौन जिले के समक्ष।

चूंकि “महाराणा प्रताप क्षत्रिय, राजपुत समाज ट्रस्ट पटेल मोहल्ला, ग्राम पिपलगोन” तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) पिन कोड-451228 ने मध्यप्रदेश लोक न्यास 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की गई आपत्तियों या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि “महाराणा प्रताप क्षत्रिय, राजपुत समाज ट्रस्ट” कसरावद सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला खरगौन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह (एक माह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(1370)

एस. पी. एस. चौहान,  
अनुबिभागीय अधिकारी (रा.)

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच

#### प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-5, उपधारा-2 और म. प्र. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

चूंकि श्री यशवंत पिता चौथमल बंसल, 44, सत्यपथ, दाना गली, नीमच, जिला नीमच (म.प्र.), मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझावा देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, म. प्र. का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 06 फरवरी, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता : “श्रीमती चन्द्रादेवी यशवंत बंसल पारमार्थिक ट्रस्ट, नीमच”  
44, सत्यपथ, दाना गली, नीमच, जिला नीमच (म.प्र.).

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण:-

अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रु. 11,000/- (अक्षरी रूपये ग्यारह हजार मात्र)

दिनांक 09 जनवरी, 2017.

आदित्य शर्मा,  
अनुबिभागीय अधिकारी.

(1371)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) घाटीगांव, जिला ग्वालियर  
प्रक्र./01/2016-17/बी-113(1). ग्वालियर, दिनांक 16 जून, 2017

#### प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

आवेदक श्री सुरेश चंद्र जैन पुत्र श्री मंगलचंद्र जैन, छत्रधारी श्री दिग्म्बर जैन अतिशय क्षेत्र पार्श्वगिरी, ग्राम रेहट चराई, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के द्वारा छत्रधारी श्री दिग्म्बर जैन अतिशय क्षेत्र पार्श्वगिरी धार्मिक न्यास स्थित छत्रधारी श्री दिग्म्बर जैन अतिशय क्षेत्र पार्श्वगिरी, ग्राम रेहट चराई, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 17 जुलाई, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है।

अतः मैं, पंजीयन, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 16 जून, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम, पता :          | : | छत्रधारी श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र पाश्वर्गिरी धार्मिक छत्रधारी श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र पाश्वर्गिरी, ग्राम रेहट चराई, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर। |
| 2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन : |   |  |
| चल सम्पत्ति                         | : | 1945/- रुपये   |
| अचल सम्पत्ति                        | : | निरंक  |

विनोद सिंह,  
अनुविभागीय अधिकारी।

(1372)

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग करैरा, जिला शिवपुरी**

प्रक्र./01/2016-17/बी-113(1).

करैरा, दिनांक 11 जुलाई, 2017

### प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

गोपाल सिंह परिहार पुत्र श्री त्रिलोक सिंह परिहार, निवासी ग्राम (खावदा) मगरौनी, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 की धारा-30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25 जुलाई, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास दे जिसका वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक ..... को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम तथा सम्पत्ति का वर्णन)

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम और पता          | : | “श्री रामलला सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट मगरौनी”<br>ग्राम मगरौनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.).  |
| 2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन : |   |   |
| चल सम्पत्ति                         | : | लगभग 3,50,000/- रुपये मात्र   |
| अचल सम्पत्ति                        | : | निर्मित मंदिर व 2 दुकानें कटरा बाजार में एवं कृषि आराजी सर्वे नं. 810/1<br>रक्का 2.885 हेक्टेयर, ग्राम मगरौनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.). |

सी. बी. प्रसाद,  
अनुविभागीय अधिकारी।

(1373)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल**

प्रक्र.06/बी-113/2016-17.

**प्रारूप-4**

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि (भोपाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल ट्रस्ट) म. नं.-05, उद्घव दास मेहता मार्केट नेहरू नगर, भोपाल ट्रस्टी श्री आशुतोष दुबे, न्यासी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 06 जुलाई, 2017 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों। वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

**अनुसूची**

ट्रस्ट का नाम	:	भोपाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल ट्रस्ट
अचल संपत्ति	:	निरंक.
चल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 06 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

**अतुल सिंह,**  
रजिस्ट्रार।

(1374)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी**

रा. प्र. क्र 04-बी-113/2016-17.

**फॉर्म नम्बर-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष।

आवेदक गोपाल पिता रूपाजी परिहार, निवासी मोयदा, तहसील राजपुर, अध्यक्ष, माँ गायत्री गौशाला, ग्राम मोयदा द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत माँ गायत्री गौशाला, मोयदा के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 11 मई, 2017 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

**बी. एस. कलेश,**  
अनुविभागीय अधिकारी।

(1379)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी ( सा. ), वनमण्डल , बुरहानपुर

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि बुरहानपुर वनमण्डल के निम्नलिखित वनक्षेत्र दिनांक 01 जुलाई, 2017 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे, जो चरवाहे अथवा पशु-स्वामी इन वनक्षेत्रों में पशु चराते पाये जावेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।—

प्रपत्र—1

#### चराई वर्ष 2017-18 चराई हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की सूची

#### वनमण्डल ( सामान्य ), बुरहानपुर

परिक्षेत्र	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	231	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	200	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	209	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.( अति. से मुक्त)	186	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.( अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.( अति. से मुक्त)	223	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.( अति. से मुक्त)	224	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.( अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.( अति. से मुक्त)	226	50	
नेपानगर	2012-13	आर. डी. एफ.( अति. से मुक्त)	222	50	
नेपानगर	2012-13	बांस रोपण कार्य	244	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	211	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	100	

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	232	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	216	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	223	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	233	50	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	244	25	
नेपानगर	2013-14	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	245	25	
नेपानगर	<b>2014-15</b>	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	185	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	188	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	189	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	198	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	199	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	208	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	201	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	197	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	190	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ. वृक्षारोपण	191	50	
नेपानगर	2014-15	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	187	50	
नेपानगर	<b>2015-16</b>	आर. डी. एफ.	193	50	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	188	50	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	189	50	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	229	30	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	231	30	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	201	50	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	244	50	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	246	30	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	227	40	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	191	30	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	197	30	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	200	50	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.	217	50	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	226	50	
नेपानगर	2015-16	आर. डी. एफ.(अति. से मुक्त)	220	50	
नेपानगर	2015-16	सिल्वीपाश्चर एफ.डी.ए. वृक्षारोपण	246	100	
नेपानगर	2015-16	सिल्वीपाश्चर एफ.डी.ए. वृक्षारोपण	188	100	
नेपानगर	2015-16	सिल्वीपाश्चर एफ.डी.ए. वृक्षारोपण	185	40	

1	2	3	4	5	6
नेपानगर	2016-17	आर. डी. एफ.	230	40	
नेपानगर	2016-17	आर. डी. एफ.	175	40	
नेपानगर	2016-17	आर. डी. एफ.	177	30	
नेपानगर	2016-17	आर. डी. एफ.	193	71	
नेपानगर	2016-17	आर. डी. एफ. ( अति. से मुक्त )	186	50	
नेपानगर	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण	245	50	
नेपानगर	2016-17	सिल्वीपाश्चर एफ.डी.ए. वृक्षारोपण	246	10	
धुलकोट	<b>2012-13</b>	आर. डी. एफ.	95	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2012-13	आर. डी. एफ.	92	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	82	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	99	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	91	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	87	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	83	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	69	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	71	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	72	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	73	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	74	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	76	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	77	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	78	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	80	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	67	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	62	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	66	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	63	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	65	50	
धुलकोट	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	94	40	
धुलकोट	<b>2013-14</b>	अतिक्रमण मुक्त	63	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	67	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	65	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	87	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	52	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	61	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	91	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	70	50	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	85	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	86	100	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	80	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	78	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	73	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	76	50	
धुलकोट	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	75	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	88	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	54	50	
धुलकोट	2013-14	आर. डी. एफ.	97	50	
धुलकोट	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	94	40	
धुलकोट	<b>2014-15</b>	मिश्रित वृक्षारोपण	94	30	
धुलकोट	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	81	30	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	90	50	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	54	50	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	97	100	
धुलकोट	2014-15	आर. डी. एफ.	95	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	91	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	86	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	66	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	67	100	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	87	100	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	84	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	52	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	98	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	96	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	61	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	74	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	77	50	
धुलकोट	2014-15	आर. ई. एफ.	69	50	
धुलकोट	<b>2015-16</b>	मिश्रित वृक्षारोपण	94	30	
धुलकोट	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	96	50	
धुलकोट	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	92	30	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	87	30	
धुलकोट	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	81	40	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	55	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	66	100	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	87	100	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	83	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	78	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	69	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	71	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	74	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	75	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	77	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	86	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	91	100	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	98	50	
धुलकोट	2015-16	आर. ई. एफ.	61	40	
धुलकोट	2015-16	आर. डी. एफ.	88	100	
धुलकोट	2015-16	आर. डी. एफ.	97	50	
धुलकोट	<b>2016-17</b>	आर. ई. एफ.	74	100	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	78	100	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	96	50	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	67	40	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	56	50	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	99	100	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	98	50	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	83	100	
धुलकोट	2016-17	आर. ई. एफ.	82	50	
धुलकोट	2016-17	आर. डी. एफ.	89	50	
धुलकोट	2016-17	आर. डी. एफ.	97	50	
धुलकोट	<b>2017-18</b>	आर. डी. एफ.	88	50	
धुलकोट	2017-18	आर. डी. एफ.	54	40	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	98	40	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	75	25	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	76	25	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	91	30	

1	2	3	4	5	6
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	96	40	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	61	30	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	67	50	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	82B	25	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	92	50	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	82	100	
धुलकोट	2017-18	आर. ई. एफ.	99	50	
धुलकोट	2017-18	उर्जावान	64	5	
धुलकोट	2017-18	उर्जावान	94	5	
धुलकोट	2017-18	उर्जावान	99	5	
धुलकोट	2017-18	उर्जावान	92	5	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	157	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	167	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	135	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	127	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2012-13	आर. डी. एफ.	145	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	24	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	25	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	26	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	117	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	119	50	
असीर	2012-13	अतिक्रमण मुक्त	120	50	
असीर	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	141	50	
असीर	2012-13	बांस वृक्षारोपण	135	40	
असीर	2012-13	बांस वृक्षारोपण	136	40	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	24	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	25	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	26	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	119	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	120	50	
असीर	2013-14	अतिक्रमण मुक्त	122	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	155	50	

1	2	3	4	5	6
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	159	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	138	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	142	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	158	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	125	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	145	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	123	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	135	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2013-14	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	<b>2014-15</b>	आर. डी. एफ.	156	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	157	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	155	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	159	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	161	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	123	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	23	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	136	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	125	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	139	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	133	50	
असीर	2014-15	आर. डी. एफ.	149	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	119	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	122	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	162	50	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	26	100	
असीर	2014-15	आर. ई. एफ.	27	50	
असीर	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	136	50	
असीर	2014-15	चारागाह विकास योजना	136	50	
असीर	<b>2015-16</b>	मिश्रित वृक्षारोपण	125	75	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	148	25	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	154	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	149	100	

1	2	3	4	5	6
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	150	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	159	100	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	158	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	163	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	125	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	135	100	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	139	50	
असीर	2015-16	आर. डी. एफ.	141	90	
असीर	2015-16	आर. ई. एफ.	150	40	
असीर	2015-16	आर. ई. एफ.	117	50	
असीर	2015-16	आर. ई. एफ.	162	50	
असीर	2015-16	आर. ई. एफ.	122	70	
असीर	<b>2016-17</b>	आर. डी. एफ.	160 (A)	50	
असीर	2016-17	आर. डी. एफ.	160 (B)	50	
असीर	2016-17	आर. डी. एफ.	154	100	
असीर	2016-17	आर. ई. एफ.	117	100	
असीर	2016-17	आर. ई. एफ.	150	50	
असीर	<b>2017-18</b>	आर. डी. एफ.	155	100	
असीर	2017-18	आर. डी. एफ.	159a	50	
असीर	2017-18	आर. डी. एफ.	159b	50	
असीर	2017-18	आर. डी. एफ.	163	100	
असीर	2017-18	आर. डी. एफ.	153	30	
असीर	2017-18	आर. डी. एफ.	139	50	
असीर	2017-18	आर. डी. एफ.	127	50	
असीर	2017-18	आर. डी. एफ.	161	40	
असीर	2017-18	ऊर्जावान	133a	5	
असीर	2017-18	ऊर्जावान	133b	5	
असीर	2017-18	आर. डी. एफ.	148	50	
असीर	2017-18	आर. डी. एफ.	158	100	
असीर	2017-18	आर. ई. एफ.	162	50	
असीर	2017-18	मिश्रित वृक्षारोपण	123	30	
बुरहानपुर	<b>2012-13</b>	उ. गढ़ताल	46	50	
बुरहानपुर	2012-13	पु. गढ़ताल	36	50	
बुरहानपुर	2012-13	उ. बलडी	12	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	16	50	

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	17	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	18	50	
बुरहानपुर	2012-13	ठाठर	20	50	
बुरहानपुर	2012-13	बिरोदा	10	50	
बुरहानपुर	2012-13	बिरोदा	11	50	
बुरहानपुर	<b>2013-14</b>	लालबाग	16	50	
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग	17	50	
बुरहानपुर	2013-14	लालबाग	18	50	
बुरहानपुर	2013-14	प. सोलाबर्डी	44	50	
बुरहानपुर	2013-14	पु. सोलाबर्डी	45	50	
बुरहानपुर	2013-14	भौलाना	7	50	
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा	10	50	
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा	11	50	
बुरहानपुर	2013-14	बिरोदा	12	50	
बुरहानपुर	2013-14	पु. गढताल	36	50	
बुरहानपुर	2013-14	द. ठाठर	181	50	
बुरहानपुर	2013-14	पीरबाबा	182	50	
बुरहानपुर	2013-14	पीरबाबा	183	50	
बुरहानपुर	2013-14	उ. ठाठर	167	50	
बुरहानपुर	2013-14	उ. ठाठर	164	50	
बुरहानपुर	<b>2014-15</b>	पु. सोलाबर्डी	40	50	
बुरहानपुर	2014-15	प. सोलाबर्डी	44	50	
बुरहानपुर	2014-15	पु. सोलाबर्डी	38	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	179	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	181	50	
बुरहानपुर	2014-15	पीरबाबा	182	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	180	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. ठाठर	167	50	
बुरहानपुर	2014-15	लालबाग	11	50	
बुरहानपुर	2014-15	बिरोदा	16	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. बलडी	31	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. बलडी	22	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. बसाली	49	50	
बुरहानपुर	2014-15	प. बसाली	51	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	169	50	

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2014-15	द. बलडी	9	50	
बुरहानपुर	2014-15	पु. सोलाबर्डी	41	50	
बुरहानपुर	2014-15	उ. ठाठर	168	50	
बुरहानपुर	2014-15	भौलाना	P-6	40	
बुरहानपुर	2014-15	उतावली	15	50	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	179	35	
बुरहानपुर	2014-15	द. ठाठर	174	25	
बुरहानपुर	<b>2015-16</b>	द. ठाठर (आर. डी. एफ.)	181	100	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	183	100	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	184	100	
बुरहानपुर	2015-16	लालबाग (आर. डी. एफ.)	18	100	
बुरहानपुर	2015-16	लालबाग (आर. डी. एफ.)	17	50	
बुरहानपुर	2015-16	लालबाग (आर. डी. एफ.)	16	50	
बुरहानपुर	2015-16	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	10	50	
बुरहानपुर	2015-16	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	11	50	
बुरहानपुर	2015-16	पु. सोलाबर्डी (आर. डी. एफ.)	45	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. बसाली (आर. डी. एफ.)	48	50	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	35	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	182	100	
बुरहानपुर	2015-16	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	164	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (आर. ई. एफ.)	169	100	
बुरहानपुर	2015-16	पूर्व गढताल (आर. ई. एफ.)	37	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. बासली (आर. ई. एफ.)	49	50	
बुरहानपुर	2015-16	उ. बलडी (आर. ई. एफ.)	22	50	
बुरहानपुर	2015-16	पु. उताम्बी (आर. ई. एफ.)	31	50	
बुरहानपुर	2015-16	प. बसाली (आर. ई. एफ.)	51	50	
बुरहानपुर	2015-16	पु. बसाली (आर. ई. एफ.)	34	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. बलडी (आर. ई. एफ.)	9	50	
बुरहानपुर	2015-16	सोलाबर्डी (आर. ई. एफ.)	42	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (वृक्षारोपण)	174	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. ठाठर (वृक्षारोपण)	179	50	
बुरहानपुर	2015-16	पीरबाबा (वृक्षारोपण)	178	50	
बुरहानपुर	2015-16	उताम्बी (वृक्षारोपण)	29	50	
बुरहानपुर	2015-16	उतावली (वृक्षारोपण)	15	50	
बुरहानपुर	2015-16	द. बलडी (वृक्षारोपण)	9	50	

1	2	3	4	5	6
बुरहानपुर	2016-17	द. ठाठर (आर. डी. एफ.)	181	100	
बुरहानपुर	2016-17	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	183	100	
बुरहानपुर	2016-17	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	184	100	
बुरहानपुर	2016-17	लालबाग (आर. डी. एफ.)	18	100	
बुरहानपुर	2016-17	लालबाग (आर. डी. एफ.)	17	50	
बुरहानपुर	2016-17	लालबाग (आर. डी. एफ.)	16	50	
बुरहानपुर	2016-17	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	10	50	
बुरहानपुर	2016-17	बिरोदा (आर. डी. एफ.)	11	50	
बुरहानपुर	2016-17	पू. सोलाबर्डी (आर. डी. एफ.)	45	50	
बुरहानपुर	2016-17	उ. बसाली (आर. डी. एफ.)	48	50	
बुरहानपुर	2016-17	पू. बसाली (आर. डी. एफ.)	35	50	
बुरहानपुर	2016-17	पीरबाबा (आर. डी. एफ.)	182	100	
बुरहानपुर	2016-17	उ. ठाठर (आर. डी. एफ.)	164	50	
बुरहानपुर	2016-17	द. ठाठर (आर. ई. एफ.)	169	100	
बुरहानपुर	2016-17	पूर्व गढ़ताल (आर. ई. एफ.)	37	50	
बुरहानपुर	2016-17	उ. बसाली (आर. ई. एफ.)	49	50	
बुरहानपुर	2016-17	उ. बलडी (आर. ई. एफ.)	22	50	
बुरहानपुर	2016-17	पु. उताम्बी (आर. ई. एफ.)	31	50	
बुरहानपुर	2016-17	प. बसाली (आर. ई. एफ.)	51	50	
बुरहानपुर	2016-17	पु. बसाली (आर. ई. एफ.)	34	50	
बुरहानपुर	2016-17	द. बलडी (आर. ई. एफ.)	9	50	
बुरहानपुर	2016-17	सोलाबर्डी (आर. ई. एफ.)	42	50	
बुरहानपुर	2016-17	पूर्व उताम्बी (मिश्रित वृक्षारोपण)	29	50	
बुरहानपुर	2016-17	पीरबाबा (मिश्रित वृक्षारोपण)	178	50	
बुरहानपुर	2016-17	द. ठाठर (मिश्रित वृक्षारोपण)	174	50	
बुरहानपुर	2016-17	पूर्व गढ़ताल (मिश्रित वृक्षारोपण)	38	50	
बुरहानपुर	2017-18	उत्तर गढ़ताल (आर. डी. एफ.)	46	50	
बुरहानपुर	2017-18	पूर्व गढ़ताल	38	50	
बुरहानपुर	2017-18	पूर्व सोलाबर्डी	45	50	
बुरहानपुर	2017-18	पूर्व सोलाबर्डी	40	50	
बुरहानपुर	2017-18	उताम्बी (आर. ई. एफ.)	31	50	
बुरहानपुर	2017-18	पीरबाबा (मिश्रित वृक्षारोपण)	178	50	
बुरहानपुर	2017-18	उतावली (मिश्रित वृक्षारोपण)	15	50	
बुरहानपुर	2017-18	उताम्बी (मिश्रित वृक्षारोपण)	29	30	

1	2	3	4	5	6
शाहपुर	2012-13	निरंक	0	0	
शाहपुर	2013-14	निरंक	0	0	
शाहपुर	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	438	50	
शाहपुर	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	460	40	
शाहपुर	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	451	25	
शाहपुर	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण	416	20	
बोदरली	2012-13	बांस रोपण	378	80	
बोदरली	2012-13	बांस वृक्षारोपण	471	12	
बोदरली	2012-13	आर. ई. एफ.	384	50	
बोदरली	2012-13	आर. ई. एफ.	398	50	
बोदरली	2013-14	निरंक	0	0	
बोदरली	2014-15	मिश्रित वृक्षारोपण	491	30	
बोदरली	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	499	25	
बोदरली	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	500	12	
बोदरली	2015-16	मिश्रित वृक्षारोपण	491	50	
बोदरली	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण	380	60	
बोदरली	2016-17	मिश्रित वृक्षारोपण	501	50	कैम्पा मद
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	285	50	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	295	50	
नावरा	2012-13	ऊर्जावन एवं चरागाह विकास	294	50	
नावरा	2012-13	मिश्रित वृक्षारोपण	247	40	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	248	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ.	298	50	
नावरा	2012-13	आर. डी. एफ. (अति. से मुक्त)	236	50	
नावरा	2012-13	गेप प्लांटिंग	266	10	
नावरा	2012-13	बांस वृक्षारोपण	295	50	
नावरा	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	247	50	
नावरा	2013-14	मिश्रित वृक्षारोपण	251	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	266	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	247	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	248	50	

1	2	3	4	5	6
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	257	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	297	50	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ.	298	20	
नावरा	2013-14	आर. डी. एफ. ( अति. से मुक्त )	263	50	
नावरा	2014-15	आर. डी. एफ.	257	50	
नावरा	2014-15	आर. डी. एफ.	272 ( I )	50	
नावरा	2014-15	आर. डी. एफ.	272 ( II )	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	266 ( I )	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	266 ( II )	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ.	257	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ. ( अति. से मुक्त )	247	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ. ( अति. से मुक्त )	263	50	
नावरा	2015-16	आर. डी. एफ. ( अति. से मुक्त )	236	50	
नावरा	2015-16	अति. से मुक्त क्षेत्र में चैनलिंक फैसिंग	253	108	
नावरा	2015-16	अति. से मुक्त क्षेत्र में चैनलिंक फैसिंग	261	125	
नावरा	2016-17	आर. डी. एफ.	272	50	
नावरा	2016-17	आर. डी. एफ.	268	50	
नावरा	2016-17	आर. डी. एफ. ( अति. से मुक्त )	263	50	
नावरा	2016-17	आर. डी. एफ. ( अति. से मुक्त )	236	50	
नावरा	2016-17	सिल्वोपाश्चर	295	28	
खकनार	2012-13	भौराघाट	312	100	
खकनार	2012-13	सांडस	338	40	
खकनार	2012-13	सोनूद	321	40	
खकनार	2012-13	नावथा	324	40	
खकनार	2012-13	पाचौरी	362	100	
खकनार	2012-13	पाचौरी	363	100	
खकनार	2012-13	नानानगरी	355	50	
खकनार	2012-13	भौराघाट	313	50	
खकनार	2012-13	सामरिया	330	50	
खकनार	2012-13	डवाली	326	50	
खकनार	2012-13	सोनूद	319	50	
खकनार	2012-13	मोहनगढ़	356	50	
खकनार	2012-13	नावथा	327	50	
खकनार	2012-13	देवरी	337	50	
खकनार	2012-13	खैरखेड़ा	339	75	
खकनार	2013-14	गऊमाल	362	100	
खकनार	2013-14	गऊमाल	363	100	
खकनार	2013-14	अम्बाझोली	364	100	

1	2	3	4	5	6
खकनार	2013-14	पलासपानी	355	50	
खकनार	2013-14	पलासपानी	356	50	
खकनार	2013-14	नावथा	327	50	
खकनार	2013-14	भौराघाट	312	50	
खकनार	2014-15	बोरखेड़ा	310	50	
खकनार	2014-15	भौंगाघाट	313	50	
खकनार	2014-15	करदली	357	50	
खकनार	2014-15	दांतपहाड़ी	360	50	
खकनार	2014-15	मांजरोद	309	46	
खकनार	2014-15	सोनूद	319	50	
खकनार	2014-15	डवाली	326	100	
खकनार	2014-15	नावथा	327	100	
खकनार	2014-15	पलासपानी	356	50	
खकनार	2014-15	सामरिया	334	100	
खकनार	2014-15	अम्बाझौली	364	100	
खकनार	2014-15	डोईफोडिया	330	50	
खकनार	2015-16	करदली	357	50	
खकनार	2015-16	रायतलाई	305	30	
खकनार	2015-16	सोनूद	319	50	
खकनार	2015-16	डवाली	336	75	
खकनार	2015-16	पलासपानी	355	15	
खकनार	2015-16	डवाली	326	100	
खकनार	2015-16	डवाली	335	100	
खकनार	2015-16	सामरिया	334	100	
खकनार	2015-16	नानानगरी	355	50	
खकनार	2015-16	मोहनगढ़	356	50	
खकनार	2015-16	अम्बाझौली	364	50	
खकनार	2016-17	सामरिया	334	50	
खकनार	2016-17	पलासपानी	355	50	
खकनार	2016-17	पलासपानी	356	50	
खकनार	2016-17	अम्बाझौली	364	100	
खकनार	2016-17	गऊमाल	362	50	
खकनार	2016-17	गऊमाल	363	50	

## प्रपत्र-2

चराई वर्ष 2017-18 में पूर्ण बंद कम्पार्टमेंट की सूची वनमण्डल ( सा. ) बुरहानपुर

परिक्षेत्र	उपवन परिक्षेत्र	बीट	कम्पार्टमेंट	क्षेत्रफल ( है. में )	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
शाहपुर	मोहद	द. बंभाड़ा	453	50	RDF-2013-14
शाहपुर	मोहद	मोहद	449	50	RDF-2013-14
शाहपुर	मोहद	द. बंभाड़ा	474	30	RDF-2014-15
शाहपुर	मोहद	मोहद	439	50	RDF-2014-15
शाहपुर	मोहद	मोहद	450	50	RDF-2014-15
शाहपुर	मोहद	मोहद	439	50	RDF-2015-16
शाहपुर	मोहद	उ. बंभाड़ा	456	50	RDF-2015-16
शाहपुर	मोहद	उ. बंभाड़ा	454	50	RDF-2015-16
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	408	50	RDF-2012-13
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	405	50	RDF-2012-13
शाहपुर	जम्बूपानी	पांढरी	412	50	RDF-2012-13
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	404	50	RDF-2013-14
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	405	50	RDF-2013-14
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	408	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	जम्बूपानी	424	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	बडौदा	419	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	404	50	RDF-2015-16
शाहपुर	जम्बूपानी	बडौदा	419	50	RDF-2015-16
शाहपुर	जम्बूपानी	जम्बूपानी	426	50	RDF-2014-15
शाहपुर	जम्बूपानी	जम्बूपानी	427	50	RDF-2014-15
शाहपुर	इच्छापुर	इच्छापुर	470	50	RDF-2012-13
शाहपुर	इच्छापुर	प. धामनगांव	462	50	RDF-2013-14
शाहपुर	इच्छापुर	प. धामनगांव	463	50	RDF-2014-15
शाहपुर	इच्छापुर	प. धामनगांव	462	50	RDF-2015-16
शाहपुर	इच्छापुर	मोरझिरा	457	50	RDF-2015-16
शाहपुर	इच्छापुर	इच्छादेवी	465	50	RDF-2015-16
शाहपुर	इच्छापुर	इच्छादेवी	464	50	RDF-2015-16
शाहपुर	भावसा	राजौरा	445	50	RDF-2012-13
शाहपुर	भावसा	चौणडी	428	50	RDF-2013-14
शाहपुर	भावसा	राजौरा	444	50	RDF-2013-14
शाहपुर	भावसा	राजौरा	446	50	RDF-2013-14

1	2	3	4	5	6
शाहपुर	भावसा	चौण्डी	428	50	RDF-2014-15
शाहपुर	भावसा	चौण्डी	414	50	RDF-2014-15
शाहपुर	भावसा	राजौरा	443	50	RDF-2015-16
शाहपुर	भावसा	राजौरा	447	50	REF-2014-15
शाहपुर	भावसा	जामठी	442	50	REF-2014-15
शाहपुर	भावसा	जामठी	448	100	REF-2015-16
शाहपुर	भावसा	राजौरा	447	100	REF-2015-16
शाहपुर	भावसा	जामठी	441	50	REF-2015-16
शाहपुर	भावसा	जामठी	442	50	REF-2015-16
शाहपुर	जम्बूपानी	जम्बूपानी	426	50	REF-2016-17
शाहपुर	भावसा	जामठी	448	50	REF-2016-17
शाहपुर	भावसा	जामठी	440	100	REF-2016-17
शाहपुर	जम्बूपानी	पांढरी	410	50	REF-2016-17
शाहपुर	जम्बूपानी	पांढरी	418	50	REF-2016-17
शाहपुर	इच्छापुर	मोरझिरा	458	50	RDF-2016-17
शाहपुर	मोहद	मोहद	450	50	RDF-2016-17
शाहपुर	भावसा	द. चौण्डी	422	50	RDF-2016-17
शाहपुर	जम्बूपानी	कालमाटी	404	50	RDF-2016-17
बुरहानपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
खकनार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
बोदरली	बोदरली	उसारनी	384	50	REF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	करोली	398	50	REF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	झापरपुरा	491	50	RDF-2017-18
बोदरली	तारापाटी	पू. कुंवरदेव	389	50	RDF-2017-18
बोदरली	बोदरली	धावटी	496	100	RDF-2017-18
बोदरली	कोपनार	उ. भावसा	433	50	RDF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	प. चिल्लारा	403	50	RDF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	प. चिल्लारा	401	50	RDF-2017-18
बोदरली	कोपनार	पिपरी	431	50	RDF-2017-18
बोदरली	तारापाटी	पू. कुंवरदेव	389	50	RDF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	प. चिल्लारा	400	50	RDF-2017-18
बोदरली	फोपनार	पू. चिड़ियापानी	429	50	RDF-2017-18
बोदरली	फोपनार	उ. भावसा	433	50	RDF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	झापरपुरा	401	50	RDF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	पू. चिल्लारा	400	50	RDF-2017-18

1	2	3	4	5	6
बोदरली	बोदरली	धावटी	496	50	RDF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	झापरपुरा	388	50	RDF-2017-18
बोदरली	बोदरली	उसारनी	495	50	RDF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	झापरपुरा	388	50	RDF-2017-18
बोदरली	फोपनार	पिपरी	431	50	RDF-2017-18
बोदरली	फोपनार	उ. भावसा	433	50	RDF-2017-18
बोदरली	फोपनार	उ. भावसा	434	50	RDF-2017-18
बोदरली	बोदरली	धावटी	496	50	RDF-2017-18
बोदरली	तारापाटी	पू. कुवरदेव	390	50	RDF-2017-18
बोदरली	जसौंदी	झापरपुरा	401	50	RDF-2017-18
नेपानगर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
नावरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
असीर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
धुलकोट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

## प्रपत्र-3

चराई वर्ष 2017-18 में बंद कूपों की सूची बुरहानपुर वनमण्डल ( सा. ) बुरहानपुर

परिक्षेत्र	पातन श्रेणी	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम/ कक्ष क्र.	कूप क्र.	क्षेत्रफल ( है. में )		रिमार्क
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
नेपानगर	हसनपुरा	213	V, VI, VI	274.00	-	
नेपानगर	हसनपुरा	210	II	157.89	-	
नेपानगर	हसनपुरा	203	III, IV	315.59	-	
नेपानगर	अहमदनगर	243	II, III	425.67	-	
नेपानगर	अहमदनगर	242	VI	214.76	-	
नेपानगर	मांडवा	213	VI	77.85	-	
नेपानगर	हसनपुरा	212	VII	63.10	-	
नेपानगर	हसनपुरा	212	VIII	104.18	-	
नेपानगर	हसनपुरा	212	IX	174.04	-	
नेपानगर	हसनपुरा	212	X	64.14	-	
धुलकोट	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-	
असीर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-	
बुरहानपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	-	
शाहपुर	जम्बूपानी	423	VI	160.34	SCI-2012-13	
शाहपुर	जम्बूपानी	423	VII	99.22	SCI-2013-14	
शाहपुर	जम्बूपानी	423	VIII	102.82	SCI-2014-15	

1	2	3	4	5	6
शाहपुर	जम्बूपानी	418	IX	162.23	SCI-2015-16
शाहपुर	जम्बूपानी	418	X	116.10	SCI-2016-17
बोदरली	तारापाटी	395	VI,VII,VIII,IX	352.39	-
बोदरली	जसौंदी	402	VI,VII,VIII,IX	409.94	-
बोदरली	चौण्डी	430	VI, VII	358.36	-
बोदरली	दांत पहाड़ी	365	VI, VII	240.77	-
बोदरली	धावटी	378	VI, VII	240.87	-
बोदरली	धावटी	382	VIII,IX	258.25	-
बोदरली	आमगांव	368	VI,VII,VIII,IX	544.85	-
बोदरली	दांत पहाड़ी	375	VIII, IX	295.14	-
बोदरली	आमगांव	377	XI	95.18	-
बोदरली	जसौंदी	399	XI	88.02	-
बोदरली	धावटी	383	XI	121.07	-
बोदरली	दांत पहाड़ी	374	XI	128.12	-
नावरा	बाकड़ी	260	V	96.45	-
नावरा	छिरवा	276	V	93.01	-
नावरा	गोंडवाडी	282	V	85.05	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	283	V	107.07	-
नावरा	मझगांव	288	V	133.05	-
नावरा	डवाली	291	V	76.75	-
नावरा	टुलियामाल	237	V	126.45	-
नावरा	डेहरिया	254	V	184.78	-
नावरा	साँईखेड़ा खुर्द	267	V	76.92	-
नावरा	हैदरपुर	270	VI	131.11	-
नावरा	हीरापुर	274	VI	219.82	-
नावरा	छिरवा	276	VI	104.85	-
नावरा	गोंडवाडी	282	VI	161.22	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	283	VI	111.25	-
नावरा	धामनपुरा	286	VI	79.2	-
नावरा	डवाली	291	VI	84.15	-
नावरा	बाकड़ी	254	VI	200.92	-
नावरा	हिवरा	274	VII	111.82	-
नावरा	बाकड़ी	276	VII	90.42	-
नावरा	छिरवा	281	VII	95.69	-
नावरा	गुजरीखेड़ा	284	VII	82.55	-

1	2	3	4	5	6
नावरा	मझगांव	286	VII	112.12	SCI-2016-17
नावरा	साजनी	289	VII	102.05	—
नावरा	अहमदनगर	256	VII	151.55	—
नावरा	डेहरिया	249	VII	165.25	—
नावरा	हैदरपुर	270	VII	95.17	—
नावरा	हिवरा	274	VIII	90.45	—
नावरा	बाकड़ी	280	VIII	72.82	—
नावरा	छिरवा	281	VIII	69.3	—
नावरा	गुजरीखेड़ा	284	VIII	72.42	—
नावरा	मझगांव	286	VIII	97.92	—
नावरा	साजनी	289	VIII	99.62	—
नावरा	अहमदनगर	256	VIII	180.75	—
नावरा	डेहरिया	249	VIII	148.27	—
नावरा	हैदरपुर	270	VIII	99.67	—
नावरा	हिवरा	261	IX	173.02	—
नावरा	बाकड़ी	280	IX	64.57	—
नावरा	छिरवा	281	IX	80.1	—
नावरा	गुजरीखेड़ा	284	IX	56.22	—
नावरा	मझगांव	286	IX	122.25	—
नावरा	साजनी	289	IX	101.4	—
नावरा	अहमदनगर	238	IX	98.72	—
नावरा	डेहरिया	265	IX	209.89	—
नावरा	हैदरपुर	267	IX	134.75	—
नावरा	हिवरा	261	X	163.57	—
नावरा	बाकड़ी	280	X	70.92	—
नावरा	छिरवा	281	X	92.95	—
नावरा	गुजरीखेड़ा	290	X	70.32	—
नावरा	मझगांव	286	X	116.06	—
नावरा	साजनी	289	X	84.45	—
नावरा	अहमदनगर	238	X	108.33	—
नावरा	डेहरिया	265	X	122.32	—
नावरा	हैदरपुर	267	X	86.25	—
नावरा	हिवरा	261	XI	100.16	—
नावरा	बाकड़ी	280	XI	91.07	—
नावरा	छिरवा	281	XI	67.5	—

1	2	3	4	5	6
नावरा	गुजरीखेड़ा	290	XI	68.87	SCI-2016-17
नावरा	मझगांव	287	XI	76.07	-
नावरा	साजनी	289	XI	103.82	-
नावरा	हैदरपुर	267	XI	94.95	-
खकनार	सामरिया	338	VI, VII	118.49	-
खकनार	मोहनगढ़	349	VI, VII, VIII, IX, X, XI	125.21	-
खकनार	पाचोरी	361	VI, VII, VII	719.02	-
खकनार	पांगरी	358	VI, VII, VII, IX, X	537.82	-
खकनार	सामरदेव	317	VI, VII, VII	168.34	-
खकनार	भौराघाट	315	VI	502.95	-
खकनार	धाबा	318	VII, VII, IX, X, XI	428.66	-
खकनार	सामरिया	332	VIII, IX	76.42	-
खकनार	सामरदेव	328	IX, X, XI	357.46	-
खकनार	सामरिया	331	X, XI	347.36	-
खकनार	पाचोरी	360	IX, X	246.57	-
खकनार	पाचोरी	354	XI	102.4	-
खकनार	दांतपहाड़ी	357	XI	326.95	-

नाहर सिंह,  
बनमण्डलाधिकारी.

(1378)

### कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 08 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./17/79.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, संभाग जबलपुर के आदेश क्रमांक/सं.पं.ज./विधि/2016/161, जबलपुर, दिनांक 03 फरवरी, 2016 द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., जबलपुर, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर जिसके अंतर्गत राजस्व, जिला जबलपुर व कटनी पंजीयन क्रमांक 1025, दिनांक 27 जुलाई, 1935 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोयायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया है तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक/सं.पं.ज./विधि/2017/259, दिनांक 14 फरवरी, 2017 से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोयायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा है वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., जबलपुर, प्लाट नं. 41-42, कृषि उपज मंडी, मेन गेट के पास, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे का स्वत्व के संबंध में बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,  
परिसमापक.

(1375)

## कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला सागर

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1130.—माँ सिंह वाहिनी महिला विकास सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./696, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ सिंह वाहिनी महिला विकास सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1131.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चकराघाट वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1312, दिनांक 19 जून, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./210, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चकराघाट वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1312, दिनांक 19 जून, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-A)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1132.—महिला विकास सहकारी समिति मर्या., परकोटा, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1218, दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2830, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए महिला विकास सहकारी समिति मर्या., परकोटा, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1218, दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-B)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1133.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., शंकरगढ़, मकरोनियां, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1319, दिनांक 26 जुलाई, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./212, दिनांक 12 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमाप्त में लाया गया है। परिसमाप्त क्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमाप्त द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., शंकरगढ़, मकरोनियां, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1319, दिनांक 26 जुलाई, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-C)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1134.—राधे-राधे बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चनौआ बुजुर्ग, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1276, दिनांक 13 फरवरी, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./848, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमाप्त में लाया गया है। परिसमाप्त क्री प्रमोद कापड़िया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमाप्त द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राधे-राधे बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चनौआ बुजुर्ग, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1276, दिनांक 13 फरवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-D)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1135.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजवांस, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1314, दिनांक 10 जुलाई, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./834, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमाप्त में लाया गया है। परिसमाप्त क्री प्रमोद कापड़िया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमाप्त द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजवांस, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1314, दिनांक 10 जुलाई, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-E)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1136.—पं. दीनदयाल बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छुल्ला, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1306, दिनांक 23 मई, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./808, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रमोद कापड़िया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पं. दीनदयाल बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छुल्ला, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1306, दिनांक 23 मई, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-F)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1137.—ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बांदरी, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 153, दिनांक 03 जुलाई, 2009 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./935, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री आर. के. केसरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथौन, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बांदरी, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 153, दिनांक 03 जुलाई, 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-G)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1138.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जूना, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1282, दिनांक 18 फरवरी, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./853, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रमोद कापड़िया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त

की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीय सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक बॉडी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जूना, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1282, दिनांक 18 फरवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-H)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1139.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेलई माफी, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 21 जनवरी, 2003 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1549, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीय सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेलई माफी, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 21 जनवरी, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-I)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1140.—पं. दीनदयाल कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., चौका, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 31 मार्च, 2004 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./213, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री रामजी खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीय सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पं. दीनदयाल कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., चौका, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 31 मार्च, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-J)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1141.—प्रजापति ईंट, खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका

पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 04 फरवरी, 2004 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./875, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री बसंत रोहित, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रजापति ईंट, खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 04 फरवरी, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-K)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1142.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., हरदी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1259, दिनांक 28 जनवरी, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./846, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रमोद कापड़िया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., हरदी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1259, दिनांक 28 जनवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-L)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1143.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./814, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रमोद कापड़िया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-M)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1144.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तिखी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1271, दिनांक 05 फरवरी, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./828, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रमोद कापड़िया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तिखी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1271, दिनांक 05 फरवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-N)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1145.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैजरा माफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1192, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./717, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री बसंत रोहित, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैजरा माफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1192, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-O)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1146.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1289, दिनांक 23 फरवरी, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./203, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री बसंत रोहित, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1289, दिनांक 23 फरवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-P)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1147.—बम महादेव बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुड्डई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1287, दिनांक 18 फरवरी, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./858, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रमोद कापड़िया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम महादेव बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुड्डई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1287, दिनांक 18 फरवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-Q)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1148.—उमा शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैजरा माफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./726, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री बसंत रोहित, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमा शक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैजरा माफी, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-R)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1149.—माँ हरसिंहि सहकारी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 142, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1730, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रभाकर कण्ठया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ हरसिंहि सहकारी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 142, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-S)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1150.—सार्व प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रजवांस, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1332, दिनांक 03 सितम्बर, 2009 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./796, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री आर. के. केसरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथौन, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्व प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रजवांस, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1332, दिनांक 03 सितम्बर, 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-T)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1151.—हरिजन चमड़ा उद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1233, दिनांक 16 मार्च, 2007 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि./195, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री अनंदीलाल गौड़, सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन चमड़ा उद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1233, दिनांक 16 मार्च, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-U)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1152.—प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., मंजला, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 739, दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/928, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री रामजी खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., मंजला, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 739, दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-V)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1153.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., तालपोह, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 876, दिनांक 17 जुलाई, 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/770, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री रामजी खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., तालपोह, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 876, दिनांक 17 जुलाई, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-W)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1154.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लुड्यारा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1315, दिनांक 10 जुलाई, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/795, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री अनंदीलाल गौड़, सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लुड्यारा, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1315, दिनांक 10 जुलाई, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-X)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1155.—माँ दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हनौता पारीछत, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 978, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2033, दिनांक 02 नवम्बर, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए माँ दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हनौता पारीछत, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 978, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-Y)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1156.—केरवना तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केरवना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 512, दिनांक 19 मार्च, 1991 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/300, दिनांक 04 फरवरी, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक कु. प्राची जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरवना तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केरवना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 512, दिनांक 19 मार्च, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1376-Z)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1157.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा रामचन्द्र, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1204, दिनांक 16 जून, 2005 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./714, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री रामजी खेरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा रामचन्द्र, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1204, दिनांक 16 जून, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1377)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1158.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरखेरा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 863, दिनांक 04 जुलाई, 2002 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./720, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है।

परिसमापक श्री रामजी खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरखेरा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 863, दिनांक 04 जुलाई, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1377-A)

सागर, दिनांक 28 जून, 2017

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2017/1159.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1239, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./823, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1239, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. आर. कावड़कर,  
उप-पंजीयक.

(1377-B)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 31 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त, 2017-श्रावण 13, शके 1939

---

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

### निरंक